

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2461

दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

इटावा और फतेहपुर में विद्युतीकरण कार्य

2461. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल:

श्री जितेंद्र दोहरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और इटावा जिलों में अब तक किए गए विद्युतीकरण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार, नए कनेक्शन प्रदान करने, ट्रांसफार्मर लगाने और उच्च/निम्न-तनाव वाली लाइनों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त जिलों में अब तक विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है और कितने गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है;

(घ) उक्त गांवों के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त कार्यों के लिए अब तक स्वीकृत और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार बिजली कटौती, कम वोल्टेज और अन्य बिजली आपूर्ति मुद्दों के समाधान के लिए कोई नई योजना लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती आ रही है। ये स्कीमों दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं। इन स्कीमों के तहत, विद्युत वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएँ क्रियान्वित की गईं। राष्ट्रीय स्तर और इटावा और फतेहपुर जिलों में डीडीयूजीजेवाई/सौभाग्य और आईपीडीएस के तहत किए गए अवसंरचना कार्यों और परियोजना लागत का विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई के तहत उत्तर प्रदेश के 1498 गांवों सहित कुल 18,374 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और इटावा जिलों में

कोई भी गांव गैर-विद्युतीकृत नहीं पाया गया। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इटावा जिले और फतेहपुर जिले में चिह्नित सभी 692 गांवों और 1552 गांवों को पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है।

सौभाग्य स्कीम के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 91,80,571 घर शामिल हैं। सौभाग्य स्कीम के दौरान फतेहपुर और इटावा जिलों में क्रमशः 1,06,185 घरों और 49,892 घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। वितरण अवसंरचना के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, भारत सरकार सौभाग्य अवधि के दौरान छूटे सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सहायता कर रही है। गैर-विद्युतीकृत घरों को चिह्नित करने के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जहाँ भी संभव पाया गया, वहाँ आरडीएसएस के तहत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृत किया गया है। अब तक, राष्ट्रीय स्तर पर 10,19,030 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की लागत के कार्यों को संस्वीकृत किया गया है। इटावा और फतेहपुर जिलों के लिए आरडीएसएस के तहत क्रमशः 2.42 करोड़ रुपये की लागत से 625 घरों और 10.28 करोड़ रुपये की लागत से 3,920 घरों के विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और इटावा जिलों में आरडीएसएस के अंतर्गत किए जा रहे विद्युतीकरण कार्यों का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

आरडीएसएस के तहत निधियों की जिलेवार संस्वीकृति को सहमति प्रदान की गई है। तथापि, निधि वितरण दिशा-निर्देशों के आधार पर निधि डिस्कॉमवार जारी की गई है। इटावा और फतेहपुर जिलों के लिए संस्वीकृत निधि और डिस्कॉम स्तर पर निधि के उपयोग का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

जिला/डिस्कॉम	संस्वीकृत लागत (स्मार्ट मीटरिंग की लागत सहित)	संस्वीकृत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)
फतेहपुर	637.99	264.00
इटावा	298.5	121.82
पीयूवीवीएनएल	11828.63	4669.05
डीवीवीएनएल	7655.54	2948.91

(करोड़ रुपये में)

डिस्कॉम	जीबीएस (हानि न्यूनीकरण (एलआर), स्मार्ट मीटरिंग (एसएम) और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) प्रभार) संस्वीकृत	जीबीएस उपयोग
पीयूवीवीएनएल	4789.88	1,060.68
डीवीवीएनएल	3048.49	935.78

डीडीयूजीजेवाई (ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्कीम) और सौभाग्य के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का विवरण:

क्र. सं.	प्रमुख घटक	यूनिट	राष्ट्रीय स्तर	इटावा जिला	फतेहपुर जिला
	परियोजना लागत (डीडीयूजीजेवाई)	करोड़ रुपए	1.16 लाख	214.67	206.5
1	सब-स्टेशन (संवर्द्धन सहित)	सं.	4,289	12	47
2	वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	6,36,309	4,225	5,143
3	फीडर पृथक्करण	सीकेएम	1.139 लाख	969.42	00
4	एचटी और एलटी लाइनें	सीकेएम	8 लाख	2,819.96	4,453.22
5	उपभोक्ता मीटर, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर, फीडर मीटर	सं.	1,90,41,387	1,959	58,364

* सौभाग्य के अंतर्गत राज्य विद्युत कम्पनियों को निधियाँ जारी कर दी गई है तथा निधियाँ घरों की वास्तविक प्रगति के आधार पर जारी की गई है तथा निधियों का जिलावार आवंटन नहीं किया गया है।

सौभाग्य के अंतर्गत पूर्ण की गई परियोजना लागत का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

डिस्कॉम	पूर्ण परियोजना लागत
पीयूवीवीएनएल	1,058.15
डीवीवीएनएल	554.46

आईपीडीएस (शहरी क्षेत्र के लिए स्कीम) के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का विवरण:

क्र. सं.	प्रमुख घटक	यूनिट	राष्ट्रीय स्तर	ईडीसी इटावा	ईडीसी फतेहपुर
	परियोजना लागत	करोड़ रुपये	58,805	50.13	31.85
1	नया सब-स्टेशन	सं.	994	1	1
2	सब-स्टेशन का विस्तार	सं.	1,609	2	5
3	एचटी और एलटी लाइनें	सीकेएम	33,884	157.42	42.57
4	नए वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	59,993	187	57

इटावा जिले में आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्य निम्नानुसार हैं:

प्रमुख घटक	संस्वीकृत मद (सं.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)
उपभोक्ता मीटरिंग	1,72,387	103.43
डीटी मीटरिंग	9,958	22.9
फीडर मीटरिंग	231	0.97
कुल	1,82,576	127.31

प्रमुख घटक	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)
केबलिंग कार्य	155.31
फीडर पृथक्करण/विभाजन	14.05
अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण	1.83
कुल	171.2

फतेहपुर जिले में आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्य निम्नानुसार हैं:

प्रमुख घटक	संस्वीकृत मद (सं.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)
उपभोक्ता मीटरिंग	3,37,356	202.41
डीटी मीटरिंग	26,352	60.61
फीडर मीटरिंग	229	0.96
कुल	3,63,937	263.99

प्रमुख घटक	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)
केबलिंग कार्य	40.00
एलटी लाइन की रीकंडक्टिंग/संवर्धन	128.36
11 या 22 केवी लाइन की रीकंडक्टिंग/संवर्धन	19.74
33 या 66 केवी लाइन की रीकंडक्टिंग/संवर्धन	10.13
कैपेसिटर बैंक	0.85
फीडर पृथक्करण/विभाजन	159.27
अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण	15.64
कुल	374.00
